

11/15

पत्रावली म, महेंद्र सिंह, 5 विलुप्त सिंह, 06  
 शोभा सिंह के पिता का नाम भगवत सिंह  
 के बजाय भगवान सिंह राजपुत वग जाके  
 संशोधित डिप्टी जारी करे।  
 पत्रावली पंशाला गुमार हो व्य-  
 नम्बर से नाम हो।

सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

27-10-15

पत्रावली पेश हुई, प्रकरण में तहसीलदार माण्डल की  
 रिपोर्ट पेश कर अकगत कराया गया कि वादीगणको  
 सैरलमैन्ट (भू-पुबन्ध) से पूर्व 7 बीघा अर्थात् 1.51  
 हेक्टर भूमि आवक हुई थी। जब कि प्रकरण में  
 1.51 हेक्टर के बजाय 1.75 हेक्टर हो गया है।

अतः मामले में 1.75 हेक्टर के बजाय 1.51 हेक्टर  
 अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं संशोधित  
 डिप्टी जारी है।

सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, माण्डल